प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय न्यायधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 1112 /2007

लक्ष्मण
विरुद्ध
छत्तीसगढ़ शासन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

हस्त/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

माननीय न्यायधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

हस्त/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

दिनांक /.08.2012 को सूचीबद्ध करें.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ: माननीय न्यायधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय न्यायधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील संख्या 1112 /2007

अपीलार्थी	:	**लक्ष्मण ,पिता-दुकल्हा, उम्र लगभग ३५ वर्ष , साकिन -ग्राम-कुकर्दी, थाना-बलोदा बाज़ार (छत्तीसगढ़)**
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	**छत्तीसगढ़ शासन**

उपस्थित-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री संतोष कुमार साहू ,अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री राजेंद्र त्रिपाठी, शासन /प्रत्यर्थी हेतु पैनल अधिवक्ता.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(9 अगस्त, 2012 को उद्घोषित)

द्वारा श्री राधे श्याम शर्मा, न्या॰

यह अपील सत्र प्रकरण संख्या 54/2007 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाज़ार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-10-2007 के विरुद्ध प्रस्तुत कि गई है। आक्षेपित निर्णय

द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी लक्ष्मण को निम्नलिखित रीति से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है तथा दंडादेशों को क्रमवर्ती रूप से भुगतने का निदेश दिया गया है:

दोषसिद्धि	दंडादेश
भा॰द॰वि॰ की धारा 376(2)(एफ) के अंतर्गत	10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रु॰ का जुर्माना अदा करना, जुर्माना न चुकाने जाने में व्यतिक्रम होने पर, 2 माह का सश्रम कारावास भुगतना।
भा॰द॰वि॰ की धारा 302 के अंतर्गत	आजीवन कारावास और 1,000/- रु॰ का जुर्माना अदा करना, जुर्माना अदा ना कर पाने के व्यतिक्रम होने पर, 2 माह का सश्रम कारावास भुगतना।

2. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है:

मृतका ईश्वरी, अपीलार्थी की पुत्री थी और ईश्वर (अ॰सा॰-2) उसका पुत्र है तथा वे साथ में रह रहे थे। 21वीं और 22वीं अक्टूबर, 2006 की दरमियानी रात को, मृतका घर में नहीं पाई गई। सुशील सोनवानी (अ॰सा॰-1) ने मृतका के लापता होने के संबंध में पुलिस थाना बलौदा बाज़ार को सूचित किया। गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-18सी) हैड कांस्टेबल ओमप्रकाश मिश्रा (अ॰सा॰-12) द्वारा अभिलिखित की गई थी। 23वीं अक्टूबर, 2006 को मृतका का शव एक कुएं में मिला। सुशील सोनवानी (अ॰सा॰-1) ने पुलिस थाना बलौदा बाज़ार में मर्ग सूचना (प्रदर्श पी.-1) दर्ज कराई। अपीलार्थी ने ग्रामीणों के समक्ष न्यायाकोत्तर संस्वीकृति की। अपीलार्थी की न्यायाकोत्तर संस्वीकृति प्रदर्श पी.-4 के माध्यम से अभिलिखित की गई थी। अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर पहुँचे, पंचों को नोटिस (प्रदर्श पी.-2) दिया और मृतका के शव की मृत्यु-समीक्षा (प्रदर्श पी.-3) तैयार की। मृतका का शव प्रदर्श पी.-12 के माध्यम से शव-परीक्षण के लिए शासकीय अस्पताल, बलौदा बाज़ार भेजा गया। डॉ. प्रमोद तिवारी (अ॰सा॰-14) ने मृतका के शव का शव-परीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.-19) दी, जिसमें उन्होंने मृतका के चेहरे और ऊपरी जबड़े पर कई खरोंचें पाईं। उसकी योनिच्छद फटी हुई थी और थायराइड उपास्थि खंडित थी। उन्होंने राय दी कि मृत्यु का कारण गला घोंटने के कारण श्वासावरोध था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध की थी।

आगे की अन्वेषण में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-5 के द्वारा अभिलिखित किया गया तथा उसके बताने पर, उससे क्रमशः प्रदर्श पी-6 और पी-7 के द्वारा गुलाबी और काले रंग के अधोवस्त्र जप्त किए गए। नियमित प्रथम सुचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-11) पुलिस थाना बलौदा बाजार में दर्ज की गई। अन्वेषक अधिकारी द्वारा स्थल-नक्शा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(प्रदर्श पी-10) तैयार किया गया। जप्त वस्तुओं को परीक्षण हेतु न्यायालयिक प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. रिपोर्ट में, वस्तु अ, मृतक का अधोवस्त्र, वस्तु ब, अपीलार्थी का अधोवस्त्र, तथा वस्तु स-स्लाइड पर मानव शुक्राणु से रंजित पाया गया।

अन्वेषण पूर्ण होने पर, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, बलौदा बाजार के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने, तत्पश्चात्, प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायपुर को विचारणार्थ सुपुर्द किया, जहाँ से वह अंतरण पर माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बलौदा बाजार के न्यायालय में प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण किया तथा अपीलार्थी को ऊपर वर्णित अनुसार दोषसिद्ध किया और दंडादिष्ट किया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार साहू ने तर्क किया कि अंतिम बार साथ देखे जाने के साक्ष्य, अपीलार्थी के ज्ञापन कथन, मृतक के अधोवस्त्र की बरामदगी तथा अपीलार्थी की न्यायकोत्तर संस्वीकृति के आधार पर अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष अनुपयुक्त है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी की न्यायकोत्तर संस्वीकृति प्रदर्श पी-4 के द्वारा एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित की गई थी। पुलिस अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किया गया तथाकथित कथन अपीलार्थी के विरुद्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वह साक्ष्य में अग्राहय है। अतः, अपीलार्थी दोषमुक्ति का अधिकारी है। उन्होंने मधु विरुद्ध केरला राज्य, (2012) 2 एस.सी.सी. 399 के निर्णय पर अवलंब लिया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. राज्य/प्रतिवादी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता, श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए, निवेदन किया कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दण्ड इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते।

5. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण क्रमांक 54/2007 के अभिलेख का परिशीलन किया है। निर्विवाद रूप से, घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और अभियोजन का मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। वे मुख्य परिस्थितियाँ, जिन पर विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रतीततः ध्यान दिया है, निम्नानुसार हैं:

(i) अपीलार्थी और मृतक साथ रहते थे,

(ii) मृतक की हत्या कारित करने के संबंध में अपीलार्थी की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति, तथा

(iii) अपीलार्थी का ज्ञापन कथन और उसके बताने पर मृतक के अधोवस्त्र की बरामदगी, जो मानव शुक्राणुओं से रंजित पाया गया।

6. यह सुस्थापित है कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि करने के लिए अभियोजन को अपराधसूचक परिस्थितियों की समस्त कड़ियों को विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य द्वारा स्थापित करना होगा, और वे परिस्थितियाँ जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतया स्थापित होनी चाहिए। यह भी सुस्थापित है कि संदेह, चाहे वह कितना ही गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का विकल्प नहीं हो सकता, और केवल पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी ठहराते समय न्यायालय को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए।

7. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम बालक एवं अन्य, (2008) 15 एस.सी.सी. 551** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

> "**11**. "9. इस न्यायालय द्वारा निरंतर यह प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ कोई मामला पूर्णतः पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ दोष का अनुमान तभी न्यायोचित ठहराया जा सकता है, जब सभी अभ्योगात्मक तथ्य और परिस्थितियाँ अभियुक्त की निर्दोषता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के दोष के साथ असंगत पाई जाएँ। (देखें, हुकम सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (1977) 2 एस.सी.सी. 99, एराडु बनाम हैदराबाद राज्य, ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 316, ईराबद्रप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, (1983) 2 एस.सी.सी. 330, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुखबासी, 1985 परिशिष्ट एस.सी.सी. 79, बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1987) 1 एस.सी.सी. 1, तथा अशोक कुमार चटर्जी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1989 परिशिष्ट (1) एस.सी.सी. 560) वे परिस्थितियाँ, जिनसे अभियुक्त के दोष के संबंध में अनुमान निकाला जाता है, युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध की जानी चाहिए और यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उनका उन परिस्थितियों से निकाले जाने वाले मुख्य तथ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है। भगत राम बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 621 में यह प्रतिपादित किया गया था कि जहाँ मामला परिस्थितियों से निकाले गए निष्कर्ष पर निर्भर करता है, वहाँ परिस्थितियों का संचयी प्रभाव ऐसा होना चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता का निषेध करे और अपराध को किसी भी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध कर दे।"
>
> **10.** हम इस न्यायालय के सी. चेंगा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1996) 10 एस.सी.सी. 193 के विनिश्चय का भी संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें इस प्रकार कहा गया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 206-07, कंडिका 21)
>
> **"21.** पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में सुस्थापित विधि यह है कि वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, पूर्णतया सिद्ध की जानी चाहिए और ऐसी परिस्थितियाँ स्वभावतः निश्चायक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, समस्त परिस्थितियाँ पूर्ण होनी चाहिए और साक्ष्य-श्रृंखला में कोई अंतराल शेष नहीं रहना चाहिए। आगे, सिद्ध की गई परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के ही अनुरूप होनी चाहिए और उसकी निर्दोषता के साथ सर्वथा असंगत होनी चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 79 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

> '10. ..... इस न्यायालय ने विनिश्चयों की एक श्रृंखला में निरंतर यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है, तब ऐसे साक्ष्य को निम्नलिखित कसौटियों को संतुष्ट करना चाहिए: -
>
> (1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का अनुमान निकाला जाना अपेक्षित है, सुस्पष्ट और दृढ़ रूप से स्थापित की जानी चाहिए;
>
> (2) वे परिस्थितियाँ ऐसी निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर संकेत करती हों;
>
> (3) वे परिस्थितियाँ, समष्टिगत रूप से ग्रहण किए जाने पर, ऐसी पूर्ण श्रृंखला निर्मित करें कि इस निष्कर्ष से बचने का कोई उपाय न रहे कि समस्त मानवीय संभाव्यता के भीतर अपराध अभियुक्त ने ही किया था और किसी अन्य ने नहीं; तथा
>
> (4) पारिस्थितिक साक्ष्य, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से उसकी व्याख्या संभव नहीं होनी चाहिए, तथा ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के दोष के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ भी असंगत होना चाहिए।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. **बोधराज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, (2002) 8 एस.सी.सी. 45** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया है:

> '17. इस न्यायालय के शब्दों में, पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किए जाने से पूर्व की पूर्वापेक्षाएँ पूर्णतया स्थापित होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं: (एस.सी.सी. पृष्ठ 185, कंडिका 153)
>
> 1) वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतया स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ स्थापित होनी चाहिए अथवा होनी ही चाहिए, केवल हो सकती हैं, इतना पर्याप्त नहीं है;
> 2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप ही होने चाहिए; अर्थात्, उनकी व्याख्या किसी अन्य परिकल्पना पर नहीं की जा सकनी चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है;
> 3) वे परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;
> 4) वे सिद्ध की जाने वाली एकमात्र परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभव परिकल्पना का अपवर्जन करती हों; तथा

5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार शेष न छोड़े और यह प्रदर्शित करे कि समस्त मानवीय संभाव्यता में वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।'

10. अब, हम अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पारिस्थितिक साक्ष्य का परीक्षण करने के लिए अग्रसर होंगे और यह देखेंगे कि क्या अभियोजन उपर्युक्त सिद्धांत के अनुरूप अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध सिद्ध करने में सफल हुआ है।

11. यह विवादित नहीं है कि मृतका अपीलार्थी के साथ निवास कर रही थी, उसका शव एक कुएँ में पाया गया था और उसकी मृत्यु प्रकृति में मानववध थी। अभियोजन ने, अपीलार्थी को विवेच्य अपराध से संबद्ध करने के लिए, न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य को अपने मुख्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। अब, हम यह परीक्षण करेंगे कि क्या अभियोजन न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य को सिद्ध करने में सफल हुआ है?

12. सुशील सोनवानी (अ॰सा॰-1), अखिलेश मिश्रा (अ॰सा॰-3), महेन्द्र वर्मा (अ॰सा॰-6), गणेशराम उर्फ फुड्डा (अ॰सा॰-7) तथा मुंशी (अ॰सा॰-8) ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति की और यह स्वीकार किया कि वह मृतका को कमरे से समारू के बयारा में ले गया, उसके साथ बलात्संग किया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक कुएँ में फेंक दिया। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति प्रदर्श पी-4 के द्वारा अभिलिखित की गई थी। प्रदर्श पी-4 पर उनके हस्ताक्षर हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सुशील सोनवानी (अ॰सा॰-1) ने साक्ष्य दिया कि ग्रामीणों के समक्ष पुलिस थाने में अपीलार्थी से पूछताछ की गई थी। वहाँ उसने अपना दोष स्वीकार किया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उस समय अखिलेश मिश्रा (अ॰सा॰-3), महेन्द्र वर्मा (अ॰सा॰-6), मुंशी (अ॰सा॰-8) तथा चैनसिंह (अ॰सा॰-9) वहाँ उपस्थित थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि प्रदर्श पी-4 एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था। मुंशी (अ॰सा॰-8) ने भी साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने थाना प्रभारी तथा आरक्षकों के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया था। चैनसिंह (अ॰सा॰-9) ने भी इसी प्रकार साक्ष्य दिया।

14. अखिलेश मिश्रा (अ॰सा॰-3) तथा अशोक जांगड़े (अ॰सा॰-5) ने साक्ष्य दिया कि ईश्वर (अ॰सा॰-2) ने उन्हें बताया था कि अपीलार्थी ने मृतका के साथ बलात्संग किया, उसकी हत्या कर दी और उसके शव को एक कुएँ में फेंक दिया। ईश्वर (अ॰सा॰-2) ने साक्ष्य दिया कि उसके पिता (अपीलार्थी) मृतका को एक कुएँ की ओर ले गए थे, परंतु उसके बाद अपीलार्थी मृतका को वापस नहीं लाया। जब उसने मृतका के संबंध में अपीलार्थी से पूछताछ की, तब अपीलार्थी ने उससे कहा कि उसने मृतका को कुएँ में फेंक दिया है और यह भी कहा कि वह उसे भी मार डालेगा।

15. ईश्वर (अ॰सा॰-2) ने साक्ष्य दिया कि घटना के दिन अपीलार्थी ने कुछ नहीं किया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि ग्रामीणों ने अपीलार्थी से पूछा था, परंतु अपीलार्थी ने कुछ नहीं बताया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि वह न्यायालय में एक अधिवक्ता से मिला था और उसने उसी प्रकार साक्ष्य दिया जैसा

उसे उस अधिवक्ता द्वारा परामर्श दिया गया था। ईश्वर (अ॰सा॰-2) ने अपीलार्थी की न्यायिकेतर संस्वीकृति के संबंध में कोई कथन नहीं किया। अतः, अखिल मिश्रा (अ॰सा॰-3) तथा अशोक जांगड़े (अ॰सा॰-5) का साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

16. मोहनलाल (अ॰सा॰-4) ने साक्ष्य दिया कि मृतका उसके घर आई थी और उसने वहाँ अपीलार्थी की उपस्थिति के बारे में पूछा था। उसने उसे बताया कि अपीलार्थी अपने ही घर में उपस्थित था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि कुछ समय पश्चात् अपीलार्थी वहाँ आया और मृतका को वापस ले गया। रात्रि लगभग 12 बजे, ईश्वर (अ॰सा॰-2) उसके घर आया और उसे बताया कि कोई मृतका को ले गया है। इसके पश्चात् उसने और अपीलार्थी ने मृतका की तलाश की। गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18C) पुलिस थाना बलौदा बाजार में दर्ज कराई गई। अशोक जांगड़े (अ॰सा॰-5) ने भी साक्ष्य दिया कि मोहनलाल (अ॰सा॰-4) और अपीलार्थी ने रात्रि में मृतका की तलाश की थी।

17. गणेशराम उर्फ फुड्डा (अ॰सा॰-7) ने साक्ष्य दिया कि ग्रामीणों ने अपीलार्थी से कहा था कि यदि वह अपना दोष स्वीकार कर लेगा, तो वे उसे बचा लेंगे। तब अपीलार्थी ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया।

18. **"मधु बनाम केरल राज्य (पूर्वोक्त)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार टिपण्णी किया है:

> "47. वर्तमान विवाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अभियुक्त मधु और सिबी द्वारा 13-5-1998 को पुलिस वृत्त निरीक्षक पी. जे. थॉमस, अ॰सा॰-21, के समक्ष किए गए संस्वीकृतिपरक कथनों की सत्यता क्या है। यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त कथन अभियुक्तों द्वारा उस समय एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए थे, जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में थे। साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 यह उपबंधित करती है कि किसी अभियुक्त द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यह विनिर्दिष्ट करती है कि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए किसी अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति उसके विरुद्ध सिद्ध नहीं की जा सकती। ऊपर वर्णित तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त मधु और सिबी द्वारा किए गए कथन एक पुलिस अधिकारी के समक्ष उस समय किए गए थे, जब अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में थे। अतः, यह प्रत्यक्ष है कि साक्ष्य अधिनियम की धाराओं 25 और 26 के आदेश के अनुसार, उक्त कथनों का उपयोग अभियुक्त मधु और सिबी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता था। किंतु, तब भी, उपर्युक्त धाराओं 25 और 26 द्वारा उपबंधित नियम का एक अपवाद साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपलब्ध है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. वर्तमान प्रकरण में, तथाकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना, बलौदा बाजार में थाना प्रभारी तथा अन्य पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में की गई थी। अतः, प्रदर्श पी-4 के द्वारा अभिलिखित न्यायिकेतर संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। प्रदर्श पी-4 पर अपीलार्थी के

हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे। उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलार्थी ने न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी।

20. अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी का ज्ञापन कथन तथा मृतका के अधोवस्त्र की बरामदगी है, जो मानव शुक्राणुओं के धब्बे से मुक्त पाया गया था।

21. थाना प्रभारी राकेश बघेल (अ॰सा॰-11) ने साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी का ज्ञापन कथन उसके द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन प्रदर्श-5 के द्वारा अभिलिखित किया गया था और अपीलार्थी के बताने पर अभियोक्त्री का अधोवस्त्र प्रदर्श-6 के द्वारा जप्त किया गया था। महेन्द्र वर्मा (अ॰सा॰-6) ने भी साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी का ज्ञापन कथन राकेश बघेल (अ॰सा॰-11) द्वारा अभिलिखित किया गया था और अपीलार्थी के कहने पर अभियोक्त्री का अधोवस्त्र प्रदर्श-6 के द्वारा जप्त किया गया था। राकेश बघेल (अ॰सा॰-11) ने साक्ष्य दिया कि उसने जप्त अधोवस्त्र को रासायनिक परीक्षा हेतु न्यायालयिक प्रयोगशाला, रायपुर भेजा था। न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिलेख पर रखी गई है। न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में मृतका का अधोवस्त्र मानव शुक्राणुओं के धब्बो से मुक्त पाया गया। न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यह पाया गया कि अधोवस्त्र पर पाए गए मानव शुक्राणुओं के धब्बे सीरोलॉजिकल परीक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए अधोवस्त्र को सीरोलॉजिकल परीक्षा हेतु नहीं भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. वर्तमान प्रकरण में, घटना 21-10-2006 से 23-10-2006 के बीच घटित हुई थी। दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 53-क को 23-6-2006 से प्रभावी रूप से समाविष्ट किया गया था। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-क (2)(iv) इस प्रकार है:

"53-A.(1) xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx

(2) ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अविलंब उस व्यक्ति की परीक्षा करेगा और अपनी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी, अर्थात्:-

I) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(II) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

(III) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

(IV) अभियुक्त के शरीर से डी.एन.ए. रूपरेखा निर्धारण के लिए ली गई सामग्री का विवरण; तथा
XXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

23. **कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2877** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:

> **"45.** अब, दण्ड प्रक्रिया संहिता में धारा 53-क के 23.06.2006 से प्रभावी रूप से समावेश के पश्चात्, जिसकी ओर उत्तरवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारा

ध्यान आकृष्ट किया गया, ऐसे प्रकार के मामलों में अभियोजन के लिए डी.एन.ए. परीक्षण कराना आवश्यक हो गया है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध अपना मामला सिद्ध करने में अभियोजन को सुविधा हो। वर्ष 2006 के पूर्व भी, दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपर्युक्त विशिष्ट उपबंध के अभाव में, अभियोजन फिर भी डी.एन.ए. परीक्षण अथवा विश्लेषण तथा अपीलार्थी के वीर्य का अभियोक्त्री के अधोवस्त्रों पर पाए गए वीर्य के साथ मिलान कराने की इस प्रक्रिया का अवलंब ले सकता था, जिससे मामला त्रुटिहीन बन जाता, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया; अतः उन्हें उसके परिणाम भुगतने होंगे।"

24. वर्तमान प्रकरण में, मृतका के जप्त अधोवस्त्र को न तो सीरोलॉजिकल परीक्षण हेतु और न ही डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया था, तथा न ही अपीलार्थी के वीर्य का नमूना डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया था, ताकि अपीलार्थी के वीर्य का विश्लेषण कर उसका मृतका के अधोवस्त्र पर पाए गए वीर्य के साथ मिलान किया जा सके और मामले को त्रुटिहीन बनाया जा सके। अतः, केवल मृतका के अधोवस्त्र की जप्ती और उस पर मानव शुक्राणुओं की उपस्थिति मात्र, अपीलार्थी को प्रश्नाधीन अपराध से संबद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

25. न्यायिकेतर संस्वीकृति का साक्ष्य, अपीलार्थी का ज्ञापन कथन तथा अपीलार्थी के कहने पर मृतका के अधोवस्त्र की बरामदगी निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं हैं। इन परिस्थितियों की व्याख्या संभव है, और पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला भी पूर्ण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. अतः, समस्त दृष्टिकोणों से प्रकरण पर विचार करने पर, हमारा सुविचारित मत है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि को बनाए नहीं रखा जा सकता।

27. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दी गई दोषसिद्धि और दण्ड एतद्द्वारा अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

हस्त/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

हस्त/-

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

-Translated By Nasreen Khan